न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

मुकदमा संख्या 27/2021, जीसीएमएस. न. 2021/74
प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर0टी0 एक्ट
निर्णय दिनांक 01.04.2021

1. बलराम पुत्र कलुआराम जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. मूला पुत्र जौहरी जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. मोहनसिंह पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

:— प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवानसिंह पिता प्रेम जाति निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. विजेन्द्रसिंह पिता प्रेम जाति निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. महेन्द्रसिंह पिता प्रेम जाति निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

:— अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री लाखन भातरा (प्रार्थीगण की ओर से)
श्री अशोक कुमार (अप्रार्थीगण की ओर से)

निर्णय

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी मुकदमा न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है, जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह कि विवादित आराजी खाता सं. 379 के खसरा नम्बर 4683 रकवा 0.15, 4686 रकवा 0.23 किता 2 रकवा 0.38 व खाता सं. 380 के खसरा नम्बर 4682 रकवा 0.32, 4684 रकवा 0.30 किता 2 रकवा 0.62 हैक्ट. व खाता सं. 276 के खसरा नम्बर 4625 रकवा 0.28 , 4687 रकवा 0.18 , 4690 रकवा 0.41 किता 3 रकवा 0.87 हैक्ट. व खाता सं. 277 के आराजी खसरा नम्बर 4558 रकवा 0.27, 4559 रकवा 0.99 , [illegible] रकवा 0.08, 4564 रकवा 0.07, 4565 रकवा 0.20, 4655 रकवा 0.21 किता 7 रकवा 1.5[illegible] हैक्ट. [illegible] खाता सं. 278 के आराजी खसरा नम्बर 3927 रकवा 0.71, 4526 रकवा 0.33, 4527 [illegible] 4530 रकवा 0.68, 4531 रकवा 0.68, 4535 रकवा 0.89, 4536 रकवा 0.94 , 4580 रकवा 0.17 , 4581 [illegible] 0.19, 4590 रकवा 0.39 किता 10 रकवा 4.71 हैक्ट0 व खाता [illegible] 447 के आराजी खसरा नम्बर 4555

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज॰

रकबा 0.27, 4556 रकबा 0.10 किता 2 रकबा 0.37 हैक्ट. वाके कबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। नकल हाल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

3. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सामिलात कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मुताबिक हिस्सानुसार रकबा पर सम्मिलित रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसका अभी तक कानूनी बॅटवारा नही हुआ है। इस मय प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 के बीच विवादित आराजी खाता सं. 379 खसरा नम्बर 4682 , 4684 व खाता सं. 380 के खसरा नम्बर 4683 , 4686 जिनकी सीमाएं एक दूसरे से सटी हुई है। में बिना बॅटवारा किये हुए मकान निर्माण करने के फिराक में है। जबकि विवादित आराजी पर जब तक बॅटवारा न हो जावे तब तक निर्माण नही किया जा सकता है। प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त है। इसलिए प्रार्थी आराजी मुतदाबिया पर कानूनी बॅटवारा करवाकर अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में बुरी जमीन के मुताबिक हिस्सा अनुसार रकबा की अलग अलग खातेदारी व लगान घोषित करा पाने का अधिकारी है।

4. यह कि अप्रार्थीगण उक्त आराजी मुतदाबिया वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र में दिनांक 09.02.2021 को बिना किसी अधिकार के सामिलात खातेदार की भूमि में नींव खोद कर कब्जा करने को आमादा फिसाद हुए। प्रार्थीगण ने मना किया तो अप्रार्थीगण ने खुलेआम एलानियां धमकी दी हैं कि वह आराजी मुतदाबिया वर्णित मद सं. 2 में मकान निर्माण करके रहेगे व कब्जे से बेदखल करके रहेंगे अगर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नही सकेगी अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है किवह प्रार्थीगण की सम्मिलित आराजी मुतदाबिया में बिना बॅटवारा कराये हुए कोई निर्माण कार्य न करे और मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

5. यह कि प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में है।
अतः श्रीमान से प्रार्थना है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता. फैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 3 प्रार्थना पत्र की आराजी में मदाखलत मजाहमत न करे व आराजी मुतदाबिया में मकान निर्माण बिना बॅटवारा कराये न करे और मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। शपथ पत्र पेश हो।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत श्री लाखन भातरा एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत। प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। केबियट प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण स. 1 व 2 की और से श्री अशोक कुमार एण्डवोकेट उपस्थिति हुऐ। अप्रार्थी स. 1 तलवी जरिये रजिस्टर्ड एण्डी से कराई गयी। प्रतिवादी स. 1 लगायत 10 तामील बाबजूद अनुपस्थित इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी स. 1 तामील बाबजूद भी उपस्थित ना होने के कारण एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी स. 1 व 2 की और से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें निम्न वर्णन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:37 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 रिकार्ड से संबधित है जो काबिल गौर अदालत है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 जिस प्रकार से वर्णित है। स्वीकार नही है। प्रार्थीगण प्रतिवादीगण का वा वादीगण उपरोक्त आराजीयात पर करीब 50 साल पूर्व में पूर्वजो के साथ से ही मौके पर मनवट से काश्त कर रहे है। तथा पूर्वजों के समय से ही खसरा नम्बर 4683,

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज॰

4686 प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है। तथा प्रार्थीगण प्रतिवादीगण ही कब्जा है। शेष उजरात मजीद में दर्ज है।

3. यह कि प्रार्थनापत्र की मद सं. 4 जिस प्रकार वर्णित की गई है। वह स्वीकार नही है। प्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 09.02.2021 को या अन्य किसी तिथि को कोई धमकी नही दी है। इसलिए बिना धमकी काज ऑफ एक्शन पैदा नही होता हैं इसलिए बिना काज ऑफ प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। शेष उजरात मजीद में दर्ज है।

4. यह कि प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन अपूर्णनीय क्षति वादीगण के हक में न होकर प्रार्थीगण प्रतिवादी गण के हक में हैं शेष उजरात मजीद में दर्ज है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण प्रतिवादीगण व वादीगण रिकार्डड सहखातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण वादीगण करीब 50 साल पूर्व से मनवट से काबिज होकर काश्त व उपभोग कर रहे है। खसरा नम्बर 4683, 4686 प्रार्थीगण प्रतिवादीगण घन्टोली पतराम, मोहनसिंह पुत्र जौहरी मंगल पुत्र जौहरी व दुर्जन पुत्र जौहरी के मनवट से कब्जे में पूर्वजो के समय से है मौके पर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के पूर्वजों के मकानात बने है। तथा घूरा बिटौरा गैतवाडा आदि के काम में मौके पर ले रहे है। प्रार्थीगण प्रतिवादीगण अपने कब्जे शुदा मनवट के भूखण्ड पर मनवट से काबिज हिस्सा पर पुराने मकानात के नीचे पड जाने के कारण उसमें वर्षात के समय पानी भर जाता है। जिसके कारण जीव जन्तु आदि घरों में घुस जाते है। तथा पनी गंद भर जाता है। जिसमें बचने के लिए प्रार्थीगण प्रतिवादीगण अपने कब्जे शुदा आराजीयात पर बने मकानात को ऊंचा कर रहे है।

6. यह कि अप्रार्थीगण भी अपने कब्जे शुदा मनवट की आराजीयात पर मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा हैं जिसमें प्रार्थीगण द्वारा कभी कोई आपत्ति जाहिर नही है। है। लेकिन वादीगण ईष्या वश प्रार्थीगण प्रतिवादी की कब्जे शुदा मनवट की आराजीयात पर निर्माणगत को रोकने हेतु तथ्यों को छिपा कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जिसमें प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी कें है।

7. यह कि विभाजन उक्त आराजीयात पर मनवट के मुताबिक वादीगण व प्रार्थीगण प्रतिवादीगण कें पूर्वजों की सहमति से किया गया हैं तथा सहमति के मुताबिक ही खसरा नम्बर 4683 व 4686 वा मकानात निर्माण किये गये थे। उक्त बने मकानात पर ही प्रार्थीगण प्रतिवादीगण निवास करते है। अगर उन्हे निर्माण करने से रोका गया तो वर्षात के मौसम में पानी भरने से मकानात के गिरने व सॉप आदि विषेले जानवरो जीव जन्तुओ के घुसने से कभी भी अप्रिय घटना कारित हो सकती है। इसलिए अगर स्थगन आदेश दिया गया तो प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जरिये नकद से नही हो सकेगी इसलिए प्राइमाफेसी केस व सुविधा का [illegible] के हक में बखूबी साबित है। इसलिए प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. काबिल खा[illegible] है।

8. यह कि वादीगण ने उक्त दावा व प्रार्थना पत्र [illegible] करने के उद्देश्य से पेश किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र मय हर्जा खास 100[illegible] रुपया काबिल खारिजी के है।

अतः प्रार्थना है कि जबाब प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. को मय हर्जा खास 10000/- खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें। शपथ पत्र पेश हो।

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2077 — 2077 वाके कवई, तहसील नदबई पेश कि गई।

सहायक कलेक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:37 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल/अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो मकानात बनाने के पत्थर व ईट वगै वाके कबई, तहसील नदबई पेश कि गई।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स. 2 व 3 के विद्वान वकीलो की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर. टी.ए. सुनी। प्रार्थी एवं अप्रार्थी वकीलो द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र 212 एवं जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराया गया। तथा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि:–

1. प्राईमाफेसी केस– प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए. के तहत् पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित विवादित आराजी खाता सं. 379 के खसरा नम्बर 4683 रकवा 0.15, 4686 रकवा 0.23 किता 2 रकवा 0.38 व खाता सं. 380 के खसरा नम्बर 4682 रकवा 0.32, 4684 रकवा 0.30 किता 2 रकवा 0.62 हैक्ट. व खाता सं. 276 के खसरा नम्बर 4625 रकवा 0.28 , 4687 रकवा 0.18 , 4690 रकवा 0.41 किता 3 रकवा 0.87 हैक्ट. व खाता सं. 277 के आराजी खसरा नम्बर 4558 रकवा 0.27, 4559 रकवा 0.39 , 4560 रकवा 0.08, 4564 रकवा 0.07, 4565 रकवा 0.20, 4655 रकवा 0.21 किता 7 रकवा 1.54 हैक्ट. व खाता सं. 278 के आराजी खसरा नम्बर 3927 रकवा 0.71, 4526 रकवा 0.33, 4527 रकवा 0.33, 4530 रकवा 0.68, 4531 रकवा 0.68, 4535 रकवा 0.89, 4536 रकवा 0.54 , 4580 रकवा 0.17 , 4581 रकवा 0.19, 4896 रकवा 0.39 किता 10 रकवा 4.71 हैक्ट0 व खाता सं. 447 के आराजी खसरा नम्बर 4555 रकवा 0.27, 4556 रकवा 0.10 किता 2 रकवा 0.37 हैक्ट. वाके कबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। **प्रार्थी व अप्रार्थी सह खातेदारान रिकार्ड दर्ज है। उक्त विवादित आराजीयत कोर्टिनेट कि सह खातेदारान की आराजीयत है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है।** प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 लगायत 3 के बीच विवादित आराजी खाता सं. 379 खसरा नम्बर 4682 , 4684 व खाता सं. 380 के खसरा नम्बर 4683 , 4686 जिनकी सीमाएं एक दूसरे से सटी हुई है। जिस पर निर्माण को लेकर विवाद बताया गया है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का निर्माण पूर्व से ही हो रखा है जिस पर पुनः नवीन निर्माण किया जा रहा है जो कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटो से प्रतीत होता है अप्रार्थी को मनवट से विवादित खसरा नम्बार 4683,4686 पूवर्जो के समय से ही मौके पर काबिज काश्त है। **मौके पर आवासीय, घूरा, बिटौरा गैतवाड़ा के रूप में उपयोग लीया जा रहा है तथा कुछ हिस्से पर निर्माण होने भी बताया गया है।** प्रार्थीगण प्रतिवादीगण अपने कब्जे शुदा मनवट के भूखण्ड पर मनवट से काबिज हिस्सा पर पुराने मकानात के नीचे पड जाने के कारण उसमें वर्षात के समय पानी भर जाता है। जिसके ... जन्तु आदि घरों में घुस जाते है। तथा पानी गंद भर जाता है। जिसमें बचने ... प्रार्थीगण प्रतिवादीगण अपने कब्जे शुदा आराजीयात पर बने मकानात को ... विवादित आराजी आबादी में है तथा कानूनी रूप से एक रिकॉर्डेड खातेदार ... को किसी प्रकार को स्थगन आदेश से पाबंद नही किया जा सकता है। इसप्रकार प्रथमदृष्टया प्रइमाफेसी व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में न होकर अप्रार्थी के हक में बखूबी साबित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:37 IST
Reason: SelfAttested

4. सुविधा का सतुलन –सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के हक में साबित है।

... उपखण्ड अधिकारी / कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

5. अपूर्ण क्षति – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थिगण को पाबन्द किया जाता है तो उसके खातेदारी अधिकारो का का कुठारघात होगा । जो अजीम क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। अतः आदेश है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर, नदबई
01/04/21

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज•

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:30:37 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official